न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

(पीठासीन अधिकारी भागवंती जेठवानी, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 156/2016 **दायरा दिनांक : 19.08.2016**

उनवान

मूलचन्द वल्द घासीलाल, उम्र 74 साल, जाति काछी, निवासी ल्हास, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड

.... अपीलांट

बनाम

1– रामकल्याण वल्द घासीलाल, उम्र 48 साल, जाति काछी, निवासी ल्हास, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड

2– ग्यारसीराम वल्द घासीलाल, साल, जाति काछी, निवासी ल्हास, हाल निवासी राडी के बालाजी गागरोन, रोड झालावाड तहसील अकलेरा, जिला झालावाड

3– सुन्दरबाई पुत्री घासी लाल, जोजे पानाचन्द, जाति काछी, निवासी ल्हास, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड

4– गणेशबाई पुत्री घासीलाल जोजे मंगलसिंह, जाति काछी, निवासी सारथल, तहसील छीपाबडोद, जिला बारां

5– नारान पुत्र रामा, जाति काछी, निवासी ल्हास, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड

6– शाखा प्रबन्धक भारतीय स्टेट बैंक शाखा अकलेरा, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड

7– राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार अकलेरा, जिला झालावाड

.... रेस्पोडेंट

अपील संख्या 155/2016 **दायरा दिनांक :19.08.2016**

उनवान

मूलचन्द वल्द घासीलाल, उम्र 74 साल, जाति काछी, निवासी ल्हास, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड

.... अपीलांट

बनाम

1– रामकल्याण वल्द घासीलाल, उम्र 48 साल, जाति काछी, निवासी ल्हास, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड

2– ग्यारसीराम वल्द घासीलाल, साल, जाति काछी, निवासी ल्हास, हाल निवासी राडी के बालाजी गागरोन, रोड झालावाड तहसील अकलेरा, जिला झालावाड

3– सुन्दरबाई पुत्री घासी लाल, जोजे पानाचन्द, जाति काछी, निवासी ल्हास, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड

4– गणेशबाई पुत्री घासीलाल जोजे मंगलसिंह, जाति काछी, निवासी सारथल, तहसील छीपाबडोद, जिला बारां

5– नारान पुत्र रामा, जाति काछी, निवासी ल्हास, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड

6– शाखा प्रबन्धक भारतीय स्टेट बैंक शाखा अकलेरा, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड

7– राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार अकलेरा, जिला झालावाड

.... रेस्पोडेंट

उपस्थित – श्री श्याम सुन्दर शर्मा ।। अभिभाषक अपीलांट की ओर से

श्री सी पी खण्डेलवाल अभिभाषक रेस्पोडेंट की ओर से

निर्णय दिनांक : 05.03.2018

ये दोनों अपीलें समान पक्षकारों के मध्य एवं समान प्रकृति की होने के कारण इनका निस्तारण एक साथ किया जा रहा है ।

ये दोनों अपीलें अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम उपखण्ड अधिकारी, अकलेरा के प्रकरण संख्या – 24/दावा/2012 निर्णय व प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 12.05.2016 एवं निर्णय व अंतिम डिक्री दिनांक 18.06.2016 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है ।

अपीलों के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेंट नम्बर 1 रामकल्याण ने अपीलांट एवं अन्य के खिलाफ एक दावा अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पेश कर यह कथन किया कि ग्राम ल्हास, तहसील अकलेरा में नयी खतौनी संख्या 232 की आराजी खसरा नम्बर 325 रकबा 21 बीघा 6 बिस्वा, खसरा नम्बर 524 रकबा 4 बीघा 10 बिस्वा, खसरा नम्बर 601 रकबा 18 बिस्वा, खसरा नम्बर 602 रकबा 19 बिस्वा, खसरा नम्बर 603 रकबा 7 बीघा 8 बिस्वा कुल 5 किता की 30 बीघा 1 बिस्वा आराजी शामलाती खाते में स्थित है । वादी का 1/10 हिस्सा है । शामलाती खाते में आराजी रहने से लडाई झगडा बना रहता है । अतः दावा वादी स्वीकार कर वादी का 1/10 हिस्सा पृथक से दर्ज किया जाये । अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 12.05.2016 को दावा वादी स्वीकार कर विभाजन की प्रारम्भिक डिक्री जारी की है और दिनांक 18.06.2016 को विभाजन प्रस्ताव प्राप्त कर विभाजन की अंतिम डिक्री जारी की है । ये दोनों अपीले इन दोनों निर्णयों से अप्रसन्न होकर यह अपील पेश की गई है ।

अपील संख्या 156/2016 प्रारम्भिक डिक्री के खिलाफ पेश की गई है । उसमें अपीलांट ने कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने जवाबदावा एवं काउंटर क्लेम का अवलोकन किय बिना दावे का निस्तारण किया है । सी पी सी की पालना किये बिना लोक अदालत में निर्णय पारित किया गया है । काउंटर क्लेम को साबित करने के लिए साक्ष्य पेश करने का अवसर प्रदान नहीं किया है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जाये ।

अपील संख्या 155/2016 अंतिम डिक्री के खिलाफ पेश की गई है । उसमें यह कथन किया गया है कि राजस्व मण्डल नियम 18 से 21 की पालना नहीं की गई है । मौके पर पक्षकारों को नहीं बुलाया गया है और न ही उन्हें आपत्ति पेश करने का अवसर प्रदान किया गया है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जाये ।

दोनों अपीलें प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर की गई । नोटिस जारी किये गये । बहस उभयपक्षीय सुनी गई ।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलांट ने काउंटर क्लेम पेश किया था जिस पर न तो तनकी बनायी गयी है, न साक्ष्य बनाये गये हैं । लोक अदालत में निर्णय पारित किया गया है । अंतिम डिक्री जारी करने से पूर्व मौके पर पक्षकारों को नहीं बुलाया है । आपत्ति पेश करने का

अवसर नहीं दिया है । अतः दोनों अपीले अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जाये ।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने विधि सम्मत रूप से दर्ज हिस्से के अनुसार विभाजन की प्रारम्भिक डिक्री जारी की है और तहसील से बंटवारा प्रस्ताव प्राप्त कर विभाजन की अंतिम डिक्री जारी की है । दोनों अपीले सारहीन होने से खारिज की जाये ।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । अधीनस्थ न्यायालय में पत्रावली जवाबदावे में लम्बित थी एवं इसको दिनांक 10.07.2015 को लोक अदालत में रखा गया जिसमें पक्षकारों के द्वारा विधिक राजीनामा पेश नहीं किया तथा इसको पुनः दिनांक 12.06.2016 को लोक अदालत में रखा गया जिसमें सिर्फ वादी उपस्थित है और प्रतिवादी उपस्थित नहीं है और इसी दिन दावा डिक्री किया गया है । पक्षकारों के द्वारा कोई राजीनामा पेश नहीं किया गया है । लोक अदालत में केवल उन्हीं प्रकरणों का निस्तारण हो सकता है जिसमें उभयपक्ष ने उपस्थित होकर विधिक राजीनामा पेश किया हो । इसके अभाव में सी पी सी की पालना करते हुए दावे एवं जवाबदावे के आधार पर तनकीयात कायम कर तनकीयात पर उभयपक्षीय साक्ष्य लेकर निर्णय पारित किया जाना आवश्यक होता है, इस दृष्टि से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारी की गई प्रारम्भिक डिक्री विधि विरूद्ध है और खारिज होने योग्य है ।

अंतिम डिक्री दिनांक 18.06.2016 को जारी की गई है । अंतिम डिक्री जारी करने से पूर्व पक्षकारों को आपत्ति पेश करने का अवसर नहीं दिया गया है । बंटवारा प्रस्ताव पर सिर्फ वादी के हस्ताक्षर हैं ।

प्रतिवादीगण में से किसी के हस्ताक्षर नहीं हैं और न ही यह अंकित किया गया है कि प्रतिवादीगण ने हस्ताक्षर करने से इंकार किया । समस्त सहखातेदारों की आराजी पृथक नहीं की गई है । इस प्रकार अंतिम डिक्री जारी करने से पूर्व भी राजस्व मण्डल नियम 18 से 21 की पालना नहीं की गई है, जो त्रुटिपूर्ण है ।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर दोनों अपीलें अपील संख्या 156/2016 एवं 155/2016 अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व प्रारिम्भक डिक्री दिनांक 12.05.2016 एवं निर्णय व अंतिम डिक्री दिनांक 18.06.2016 अपास्त किये जाते हैं । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस दिशा निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रतिवादीगण से जवाबदावा प्राप्त कर तनकीयात कायम कर तनकीयात पर उभयपक्षीय साक्ष्य लेकर नये सिरे से विधि सम्मत निर्णय पारित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 15.05.2018 को उपस्थित होवें ।

निर्णय आज दिनांक 05.03.2018 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(भागवंती जेठवानी)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा